

22/10

पत्रावली पेश है। कोर्ट की उपलब्धी
 में। वादी व वादी वकील को धार-धार
 आवाज लगाते गए किन्तु कोर्ट की
 ध्यान नहीं है। ना ही वादी साक्ष्य
 प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्रावली वर्ष 2009
 में दाखिल है। और वादी साक्ष्य नहीं
 करवा रहे हैं। जिनके वादी को उचित
 में अज्ञान वल्यन की कार्य प्रकृतियों
 में हैं। जिससे वादी का वाक
 09 RS व 09 RS के खाली
 किया जाय है। पत्रावली केमल शुभा
 कोर नरेश से मत है। वाद प्रारंभ
 दाखिल दफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी
 बहरोड़ (कोटपतली-बहरोड़)